<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली</u>

<u>निदेशक कार्यालय</u>

फा.सं. 40-30/2022-स्था-I   दिनांक: 05.04.2024

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय:- संकाय सदस्यों द्वारा उपयोगकर्ता प्रभारों में छूट हेतु विवेक एवं उपयुक्तता संबंधी।

एम्स, नई दिल्ली द्वारा अपने संकाय सदस्यों को उन अत्यधिक निर्धन मरीजों के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों में छूट देने का अधिकार दिया गया है जो आवश्यक वित्तीय संसाधनों के न होने के कारण चिकित्सा उपचार का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। हांलाकि,यह देखा गया है कि संबंधित संकाय सदस्य द्वारा प्राधिकृत की गई छूट का कोई रिकॉर्ड उनके द्वारा नहीं रखा जाता है इससे कभी-कभी प्रयोगशालाओं, विकिरण निदानो आदि जैसे विभागों को किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में छूट की संस्तुति की प्रामाणिकता को सत्यापित करने में कठिनाई होती है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वे सभी संकाय सदस्य जो उपयोगकर्ता प्रभार में छूट की संस्तुति देते हैं इस प्रकार की सभी संस्तुतियों हेतु एक लॉग बुक बनाएंगे, जिससे किसी भी छूट की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके।

लेखा-परीक्षा चरण को और अधिक मजबूत करनें एवं छूट की संस्तुतियों में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी/जालसाजी को रोकने हेतु, एम्स संकाय सदस्यों द्वारा उपयोगकर्ता प्रभार में छूट की संस्तुति के लिए, कंप्यूटर सुविधा द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित की जाएगी। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली मरीज की आभा आई.डी एवं ई-अस्पताल बिलिंग प्रणाली से जुड़ी होगी ताकि वह मरीज के विवरण को स्वत: ले सके और संबंधित संकाय सदस्य द्वारा डिजिटल रूप से संस्तुति किए जाने पर उपयोगकर्ता प्रभारों में स्वत: ही छूट प्रदर्शित हो सके। यह प्रणाली संबंधित संकाय सदस्य को, उनके द्वारा संस्तुत छूटों की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए और वित्त विभाग को इस प्रकार के लेन-देन की लेखा-परीक्षा और समाधान करने में सक्षम बनाने हेतु एक डैशबोर्ड भी प्रदान करेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली 30 जून, 2024 तक आरंभ हो जाएगी।

प्रो.एम.श्रीनिवास

निदेशक

वितरण: (इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

- संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
- अपर निदेशक (प्रशासन)
- चिकित्सा अधीक्षक, (एम्स)
- सभी केंद्रों के प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई झज्जर
- सभी विभागाध्यक्षगण
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार
- उप-सचिव
- प्रभारी-आचार्य; कंप्यूटर सुविधा

(नोट:- किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2022-Estt.I 05.04.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Prudence & propriety in exemption of user charges by faculty reg.

AIIMS New Delhi empowers its designated faculty members to exempt user charges for very poor patients who are not able to afford medical treatment due to non-availability of requisite financial resources. It is noted that however, no record is being kept with the respective faculty of the exemptions authorized by them. This is sometimes causing a difficulty is cross verifying the authenticity of the exemption recommendation by departments like labs, radiodiagnosis, etc. in case of any doubts.

Accordingly, it has been decided that all faculty recommending exemption of user charges, shall maintain a log book of all such authorizations, so that the authenticity of any exemption can be verified.

To further strengthen the audit trail and for preventing any fraud / impersonation in the exemption recommendations, computer facility shall develop an electronic system for recommendation of exemption of user charges by the AIIMS Faculty. This electronic system shall be linked to the patient's ABHA ID & the eHospital billing system to auto capture the patient details and to auto exempt the user charges once digitally recommended by the concerned faculty. The system shall also provide a dashboard to the respective faculty to enable them monitor the exemptions recommended by them and to the finance department to enable them audit & reconcile such transactions. This electronic system shall be operationalized by 30th June 2024.

5/4/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Deputy Secretary
8. Prof. I/c Computer Facility